तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-8-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 5-9-25 को पेश हो।
5-9-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

अर्थना पत्र संख्या 72/2008
दायरा दिनांक 27.10.2008

बउनवान

1. रामनारायण आत्मज स्व0 पाच्यां जाति माली (मृतक)
   1/1 घनराज पिसरान रामनारायण जाति माली निवासी लाखेरी
   1/2 रामलक्ष्मण पिसरान रामनारायण जाति माली निवासी लाखेरी
   1/3रामनाथी बाई पत्नी राधेश्याम पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी लाखेरी
   1/4 विमला बाई पत्नी छोटूलाल पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी फलोदी स0माधोपुर
   1/5 भूलीबाई पत्नी बाबूलाल पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी लाखेरी
   1/6 केसरबाई पत्नी प्रेमशंकर पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
   1/7 कस्तूरी बाई पत्नी भवानी शंकर पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी चौरू जिला टोंक
2. रघुनाथ आ0 स्व0 पाच्यां माली (मृतक)
   2/1 कंचनबाई बेवा रघुनाथ जाति माली निवासी लाखेरी
   2/2 बजरंगी बाई पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   2/3 सुगनाबाई पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   2/4 जानकीबाई पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   2/5 सत्यनारायण पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
3. गेपाल आ0 स्व0 पाच्यां जाति माली (मृतक)
   3/1 हरिराम पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/2 महावीर पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/3 बनवारी लाल पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/4 द्वरकालाल पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/5 कमलेश कुमार पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/6 सीताराम पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/7 सुमित्रा पिसरान गोपाल जाति माली निवासीगण बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
   3/8 गोबरी बाई बेवा गोपाल जाति माली निवासी बजरंगपुरा लाखेरी जिला बून्दी
4. चमेली बाई पुत्री पाच्यां जाति माली बजरंगपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–प्रार्थिगण

बनाम

1. जगदीश आ0 मोडू जाति माली निवासी लाखेरी (मृतक)
   1/1 नटीबाई बेवा जगदीश जाति माली निवासी शंकरपुरा लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी

1/2 द्वारकाबाई पुत्री जगदीश पत्नी सीताराम जाति माली निवासी गौडक शिवनगर तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
1/3 पारीबाई पुत्री जगदीश पत्नी लदूर जाति माली निवासी पांचोलास तह0 एवं जिला सवाईमाधोपुर
1/4 जानकीबाई पुत्री जगदीश पत्नी कैलाश सैनी जाति माली पटेलनगर सवाईमाधोपुर
1/5 मनभर बाई पुत्री जगदीश पत्नी लदूर जाति माली निवासी देई तह0 नैनवां जिला बून्दी

2. रामगोपाल आ0 स्व0 मोडू जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. प्रभू आ0 स्व0 मोडू जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
5. भूमि अवाप्त अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सवाईमाधोपुर

—अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित

1. श्री महेन्द्र रेबारी – अधिवक्ता प्रार्थिगण
2. श्री बाला लाल बीडा – अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 लगायत 3

निर्णय

दिनांक:—4.09.2024

प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिगण के स्वर्गीय पिता श्री पांच्या जी आ0 स्व0 श्री नेनगा जी जाति माली निवासी बजरंगपुरा लोखेरी के खाते व कब्जे में ग्राम लाखेरी वर्तमान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1689 रकबा 43बीघा 3बिस्वा, 1689/3 रकबा 4बिस्वा, 1689/7 रकबा 9बीघा 18बिस्वा, 1691/2 रकबा 3बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 53बीघा 8बिस्वा है। उक्त विवादित भूमि के सन् 1995 में हुए सेटलमेंट के बाद नये खसरा सं व रकबा क्रमशः ख.सं. 2806 रकबा 0.07है0, ख.सं. 2813 रकबा0 0.33है0, ख.सं. 2814 रकबा 0.28है0, ख.सं. 2815 रकबा 0.27है0, ख.सं. 2816 रकबा 0.11है0, ख.सं. 2817 रकबा 0. 07है0, ख.सं. 2818 रकबा 1.22है0, ख.सं. 2819 रकबा 0.07है0, ख.सं. 2820 रकबा 0.13है0, ख.सं. 2821 रकबा 0.30है0, 2873 रकबा 0.78है0, ख.सं. 3464 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2805 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2807 रकबा 0.27है0, ख.सं. 2808 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2809 रकबा 0.19है0, ख. सं. 2810 रकबा 0.15है0, ख.सं. 2822 रकबा 0.08है0, ख.सं. 2832 रकबा 1.12है0, ख.सं. 2834 रकबा 0.27है0, ख.सं.3472 रकबा 0.87है0, ख.सं.3475 रकबा 0.43है0 कुल किता 22 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

19है0 है। प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी आ0 स्व0 नेनगा जी उपरोक्त भूमि के तन्हा खातेदारी टेनेन्ट एवं काबिज थे। प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 3 के स्व0 पिता श्री मोडू जी आ0 बाला जाति माली निवासी शंकरपुरा लाखेरी का पांच्या जी से कोई संबंध व रिश्तेदारी नहीं थी दोनों के परिवार अलग अलग थे। प्रतिपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता मोडू जी ने अपने जीवनकाल में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से मनमाने तौर पर सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी की अनुपस्थिती में उपरोक्त वर्णित भूमियों में से 1/2 हिस्से पर पांच्या जी के साथ–साथ बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करवा लिया था। प्रार्थिगण के पिता जी ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के पिता के पक्ष में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई बख्शीशनामा आलेखित नहीं किया तथा श्री मोडू जी अथवा किसी अन्य को कब्जा भी नहीं संभलाया। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में कानूनन नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 सर्वधा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थिगण के पिता श्री पांच्या जी अपने जीवनपर्यंत उपरोक्त भूमि पर तन्हा रूप से काबिज रहे थे। प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी का स्वर्गवास दिनांक 31.08.1995 को गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात् से प्रार्थिगण उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टेनेन्ट वेधानिक रूप से निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी ने उपरोक्त भूमि अपने जीवनकाल में ही करीब एक–डेढ बीघा में स्वयं के निवास हेतु कृषि उपकरण खाद बीज रखने के लिए मकान बना रखा है जिसमें प्रार्थिगण मय परिवार निवास करते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थिगण के स्व0 पिता ने एक कुंआ खुदवाकर निर्माण करवाया था जिससे उपरोक्त भूमि सिंचित होती है जिस पर बिजली का कनेक्शन हो रहा है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के पिता श्री मोडू लाल जी ने बिना किसी दस्तावेज के तथाकथित बक्शीशनामा बतलाकर अपने पक्ष में प्रार्थिग्ण के पिता पांच्या जी की अनुपस्थिति में उनकी सहमति के बिना ही नामांतकरण 458 दिनांक 30.09.1964 के जरिये पांच्या जी के साथ–साथ 1/2हिस्से पर अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया उक्त नामांतकरण सर्वथा गलत, अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा प्रार्थिगण के पिता एवं प्रार्थिगण के हितो के विरूद्ध बेअसर है। उक्त नामांतकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में की गई प्रविष्टी भी सर्वथा गैर कानूनी है तथा प्रभावशून्य है। प्रतिपक्षीगण के पिता मोडू जी द्वारा उक्त कृषि भूमि के खसरा सं 1689/7 रकबा 9बीघा 18बिस्वा पर जबरन व ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थिगण के पिता स्व0 पांच्या जी ने स्व0 मोडू जी के विरूद्ध एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय एस0डी0ओ0 बूंदी में दिनांक 07.10.1964 को पेश किया जो दिनांक 08.03.1976 को न्यायालय एस0डी0ओ0 बूंदी द्वारा पांच्या जी का शांतिपूर्वक कब्जा मानकर, बक्शीशनामा प्रमाणित नहीं मानते हुए डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध स्व0 मोडू एवं उसके वारिसान ने कोई अपील पेश नही की। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री अन्तिम है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए भी प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके छल रूप में प्रतिपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारियों ने सांठ गाठ करके विभाजन के किसी दस्तावेज के बिना प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

बंटवारा होना जाहिर कर बंटवारे का नामांतकरण संख्या 129 दिनांक 08.08.1972 तस्दीक करवा लिया जो अवैध एवं प्रभावशून्य है। भूमिधारी की लिखित सहमति बंटवारे हेतु आवश्यक है जो तथाकथित उक्त बंटवारे में सहमति नहीं ली गई है इस कारण भी उक्त बंटवारा नामांतकरण भी प्रभावशून्य है तथा इस इन्तकाल के आधार पर की गई जमाबंदी की प्रविष्टियां प्रार्थिगण के विरूद्ध प्रभावशून्य है। स्व0 मोडू जी एवं प्रतिपक्षीगण सं 1 ता 3 का उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं है और न ही उनका कभी भी कब्जा रहा है। उक्त नामान्तकरण संख्या 129 के आधार पर खसरा संख्यान 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2822, 2832, 2834, 3472, 3475 कुल किता 10 कुल रकबा 4.14है0 भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के खाते में सर्वथा गैर कानूनी रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से कुछ भूमि लालसोट कोटा झालावाड़ मेगा हाईवे हेतु अधिग्रहण की जा रही है जिसके मुआवजा राशि प्रार्थिगण प्राप्त करने के एक मात्र अधिकारी है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 जमाबंदी इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाने की गरज से अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे की राशि अवैध रूप से प्राप्त करने को तत्पर है इसी उद्देश्य से प्रतिपक्षीगण ने दिनांक 15.09.2008 को प्रार्थिगण को धमकी दी कि हम जमीन पर कब्जा करके एवं मुआवजे की राशि प्राप्त करके रहेंगे जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण के उक्त गैर कानूनी एवं अवैध कृत्य को रोकने के लिए प्रार्थिगण को प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध वाद पेश कर निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है यदि प्रतिपक्षीगण अपने मन्सूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थिगण को अपार एवं अनुचित हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं होगी तथा प्रार्थिगण का दावा पेश करना बेकार हो जायेगा। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण 4,5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिपक्षी सं 1 ता 3 ने जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त वाद विषयक कृषि भूमि पांच्या व प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के पिता मोडू के शामलात खाते व कब्जे की है। दोनों ने शामलात में झाड़ ठूठे काटकर कृषि योग्य आबाद किया था। पांच्या व मोडू दोनों मामा बुआ के भाई थे। दोनो का प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि पर समान हिस्सा था। पांच्या जी ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का 1/2हिस्सा मौखिक बख्शीश मोडू जी के पक्ष में कर दिया था तथा जलसे आम में पांच्या ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 30.09.1964 को राजस्व अधिकारियों से उक्त कृषि भूमि के 1/2हिस्से का नामांतकरण मोडू के पक्ष में तस्दीक करवाया था तभी से उक्त कृषि भूमि पर सहखातेदार कृषक की हैसियत से काबिज है। मोडू जी मृत्यु के पश्चात प्रतिपक्षीगण आज दिनांक तक कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 का पांच्या ने अपने जीवनकाल में कभी विरोध नहीं किया। पांच्या व प्रतिपक्षीगण ने दिनांक 07.08.1972 को तहसीलदार को बंटवारे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा करके नामांतकरण संख्या 129 दिनांक 8.08.

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा)

2 तस्दीक करके राजस्व अधिकारियों ने उक्त कृषि भूमि पांच्या व प्रतिपक्षीगण के मध्य विभाजन किया था। पांच्या व मोडू ने शामलात में कुआ का निर्माण करवाया था जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि पांच्या तन्हा खातेदार थे। पांच्या ने जो वाद माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 बून्दी के यहां पेश किया था उस वाद में नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 का विरोध नहीं किया था तथा वाद के निर्णय से नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 व 129 दिनांक 08.08.1972 खारिज नहीं हुए है वरन् वाद दायरी के पश्चात् उक्त खसरा संख्या 1689 रकबा 9बीघा 18बिस्वा का नामांतकरण 129 दिनांक 08.08.1972 को पांच्या व प्रतिपक्षीगण के मध्य विभाजन हुआ है तथा बंटवारे के आधार पर अन्य कृषि भूमियों के साथ उक्त खसरा संख्या का 1/2 हिस्सा प्रतिपक्षीगण के हिस्से में आया है। उक्त नामांतकरण लेण्ड होल्डर तहसीलदार ने धारा 53 की सब सेक्शन 4 के आधार पर तस्दीक किया है। उक्त नामांतकरण के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि में से खसरा संख्यान 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2822, 2832, 2834, 3472, 3475 कुल किता 10 कुल रकबा 4.14है0 भूमि प्रतिपक्षीगण के खाते में अंकित हुई है। प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थिगण की जानकारी मे खुल्लम खुल्ला रूप काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 उक्त कृषि भूमि के रिकॉडेड खातेदार है जिस पर विगत 50 वर्षो से हमारा कब्जा है। प्रार्थिगण अजनबी है। प्रार्थिगण को प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण व उनके पिता पांच्या ने प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 का कब्जे की जानकारी होते हुए कोई कार्यवाही मोडूजी व प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 के विरूद्ध नहीं की है इसलिए प्रार्थिगण के अधिकार धारा 63(4) राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समाप्त हो गये है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभपक्ष सुनी। प्रार्थिगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क किया कि प्रतिपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता मोडू जी ने अपने जीवनकाल में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से मनमाने तौर पर सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी की अनुपस्थिती में उपरोक्त वर्णित भूमियों में से 1/2 हिस्से पर पांच्या जी के साथ–साथ बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करवा लिया था। प्रार्थिगण के पिता जी ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के पिता के पक्ष में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई बख्शीशनामा आलेखित नहीं किया तथा श्री मोडू जी अथवा किसी अन्य को कब्जा भी नहीं संभलाया। इस कारण नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 सर्वधा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थिगण के पिता पांच्या जी की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके छल रूप में प्रतिपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारियों ने सांठ गाठ करके विभाजन के किसी दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी (बून्दी)

बिना प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का बंटवारा होना जाहिर कर बंटवारे का नामांतकरण संख्या दिनांक 08.08.1972 तस्दीक करवा लिया जो अवैध एवं प्रभावशून्य है। भूमिधारी की लिखित सहमति बंटवारे हेतु आवश्यक है जो तथाकथित उक्त बंटवारे में सहमति नहीं ली गई है इस कारण भी उक्त बंटवारा नामांतकरण भी प्रभावशून्य है तथा इस इन्तकाल के आधार पर की गई जमाबंदी की प्रविष्टियां प्रार्थिगण के विरूद्ध प्रभावशून्य है। प्रतिपक्षीगण के पिता मोडू जी द्वारा उक्त कृषि भूमि के खसरा सं 1689/7 रकबा 9बीघा 18बिस्वा पर जबरन व ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थिगण के पिता स्व0 पांच्या जी ने स्व0 मोडू जी के विरूद्ध एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय एस0डी0ओ0 बूंदी में दिनांक 07.10.1964 को पेश किया जो दिनांक 08.03.1976 को न्यायालय एस0डी0ओ0 बूंदी द्वारा पांच्या जी का शांतिपूर्वक कब्जा मानकर, बक्शीशनामा प्रमाणित नहीं मानते हुए डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध स्व0 मोडू एवं उसके वारिसान ने कोई अपील पेश नही की। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री अन्तिम है। यदि प्रतिपक्षीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि रहने, बैचान एवं मुआवजा प्राप्त करते है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 का उक्त वाद विषयक कृषि भूमि पर कोई हक व अधिकार नही होने से प्रार्थिगण के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत न्यायिक दृष्टांत 2022 आर0बी0जे0 पेज नम्बर 763, 2016(2)आर0आर0टी0 पेज नम्बर 1139, 2019(1)आर0आर0टी0 पेज नम्बर 648, आर0बी0जे0(27) 2020, आर0आर0डी0 1994 पेज नम्बर 659, 2023 आर0बी0जे0 पेज नम्बर 21, 2022 आर0बी0जे0 पेज नम्बर 749, 2022 आर0बी0जे0 पेज नम्बर 777 पेश किए। प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के अधिवक्ता ने बहस कडा विरोध करते हुए कथन किया कि पांच्या जी ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का 1/2हिस्सा मौखिक बख्शीश मोडू जी के पक्ष में कर दिया था तथा जलसे आम में पांच्या ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 30.09.1964 को राजस्व अधिकारियों से उक्त कृषि भूमि के 1/2हिस्से का नामांतकरण मोडू के पक्ष में तस्दीक करवाया था तभी से उक्त कृषि भूमि पर सहखातेदार कृषक की हैसियत से काबिज है। उक्त नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 का पांच्या ने अपने जीवनकाल में कभी विरोध नहीं किया। पांच्या व प्रतिपक्षीगण ने दिनांक 07.08.1972 को तहसीलदार को बंटवारे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा करके नामांतकरण संख्या 129 दिनांक 8.08.1972 तस्दीक करके राजस्व अधिकारियों ने उक्त कृषि भूमि पांच्या व प्रतिपक्षीगण के मध्य विभाजन किया था। उक्त दोनों नामांतकरण अभी खारिज नहीं हुए है। प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता ने उक्त कृषि भूमि के नामांतकरण की अपील निगरानी/एल.आर./278/2009/जिला बून्दी बउनवान जगदीश बनाम रामनारायण निर्णय दिनांक 05.04.2024 की प्रति पेश कर हवाला देते हुए तर्क किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी निर्णय में नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 व नामांतकरण संख्या 129 दिनांक 08.08.1972 को सही मानते हुए यथावत रखा है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। बहस समाहत पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी में वाद विषयक कृषि भूमि खसरा सख्या 1689 रकबा 43बीघा 3बिस्वा, 1689/3 रकबा 4बिस्वा, 1689/7 रकबा 9बीघा 18बिस्वा, 1691/2 रकबा 3बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 53बीघा 8बिस्वा ग्राम लाखेरी वर्तमान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पांच्या जी आ0 स्व0 श्री नेनगा जी जाति माली निवासी बजरंगपुरा लोखेरी के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। नामांतकरण संख्या 458 दिनांक 30.09.1964 से उक्त कृषि भूमि का 1/2हिस्सा मौखिक बख्शीश मोडू वल्द बाला जाति माली के पक्ष में कर दिया था जिसका अंकन नामांतकरण रजिस्टर में अंकित है। नामांतकरण संख्या 129 दिनांक 8.08.1972 तस्दीक करके पांच्या व प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 के मध्य वाद विषयक कृषि भूमि का विभाजन किया गया था। प्रतिपक्षीगण ने अपने लिखत जवाब यह उल्लेख किया है कि पांच्या व मोडू मामा-बुआ के भाई थे तथा वाद विषयक कृषि भूमि में पांच्या द्वारा मोडू को 1/2हिस्सा बक्शीश किए जाने से मोडू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है इस जवाब प्रार्थना पत्र में वे ही यह विपरित कथन करते है कि पांच्या के वारिसान जो प्रार्थिगण है वे अजनबी है प्रार्थिगण को प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त दोनों कथन विरोधाभाषी है तथा यह भी सिद्ध होता है कि पांच्या व मोडू आपस में सगे भाई नहीं है। मोडू को प्राप्त होने वाली वाद विषयक कृषि भूमि का मुख्य आधार बक्शीशनामा है। प्रतिपक्षीगण ने उक्त दोनों नामांतकरण अभी तक खारिज नहीं होने से व 50वर्षों से उनका वाद विषयक कृषि भूमि के आधे हिस्से पर 50वर्षों से कब्जे के आधार पर प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने निवेदन किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है की नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें किसी के हितों का निर्धारण नहीं होता है। नामांतकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है। पक्षकारान के अधिकार तो नियमित वाद से ही प्राप्त किये जा सकते है। उभयपक्षकारन के हित व अधिकार का निर्णय मूल वाद में उभयपक्ष के साक्ष्य लिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है। प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 के नाम उक्त वाद कृषि भूमि पूर्व टीनेन्ट खातेदार पांच्या द्वारा उनके पिता मोडू के पक्ष में बक्शीश किए जाने से प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका वाद विषयक कृषि भूमि में 50 वर्षों का कब्जा सिद्ध होता हो। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार उक्त दोनो नामांतकरण तस्दीक होने से पूर्व वाद विषयक कृषि भूमि के टीनेन्ट खातेदार प्रार्थिगण के पिता पांच्या वल्द नैनगा थे जिससे यदि दोराने वाद प्रतिपक्षीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने नाम का लाभ लेकर वाद विषयक कृषि भूमि रहन,बेचान की जाती है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति होना स्वभाविक है। प्राथमिक दृष्टया सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में प्रतीत होती है। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिपक्षीगण को ता फैसला मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद विषयक कृषि भूमि ख. सं. 2806 रकबा 0.07है0, ख.सं. 2813 रकबा0 0.33है0, ख.सं. 2814 रकबा 0.28है0, ख.सं. 2815 रकबा 0.27है0, ख.सं. 2816 रकबा 0.11है0, ख.सं. 2817 रकबा 0.07है0, ख.सं. 2818 रकबा 1.22है0, ख.सं. 2819 रकबा 0.07है0, ख.सं. 2820 रकबा 0.13है0, ख.सं. 2821 रकबा 0.30है0, 2873 रकबा 0.78है0, ख.सं. 3464 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2805 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2807 रकबा 0.27है0, ख.सं. 2808 रकबा 0.38है0, ख.सं. 2809 रकबा 0.19है0, ख.सं. 2810 रकबा 0.15है0, ख.सं. 2822 रकबा 0.08है0, ख.सं. 2832 रकबा 1.12है0, ख.सं. 2834 रकबा 0.27है0, ख.सं.3472 रकबा 0.87है0, ख.सं.3475 रकबा 0.43है0 कुल किता 22 कुल रकबा 8.19है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार हल्का लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ का रहन, बैचान नहीं करें न ही प्रार्थिगण को जबरन वाद विषयक कृषि भूमि से बेदखल करे न ऐसा स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)